राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांकः–स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /2302/2021 दिनांक :23.10.2021

श्रीमती संयोगिता गहलोत (RJ1190), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक)को दिनांक 25.10.2021 से 22.04.2022 तक ***180*** दिवस का *मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान)* दिनांक 24.10.2021 एवं 23.04.2022 से 24.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री लोकेश कुमार मीना (RJ1213), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक) को श्रीमती संयोगिता गहलोत के उक्त ***मातृत्व अवकाश*** की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ–साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक) के पद का ***अतिरिक्त कार्यभार*** सम्पादित किये जाने हेतु एतद्द्वारा ***पदस्थापित/नियुक्त*** कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैंः–

01. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्व निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
02. **श्री लोकेश कुमार मीना** (RJ1213), जिनको सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

22.10.2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांकः–स्था.बी.2 (4)/55/2017/6562 दिनांक 23.10.2021

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

01. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
02. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक को उनके पत्रांक 8258 दिनांक 11.10.2021 के सन्दर्भ में ।
03. **श्रीमती संयोगिता गहलोत** (RJ1190), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक)।
04. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक)।
05. **श्री लोकेश कुमार मीना** (RJ1213), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक) ।
06. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवली (टोंक) ।
07. संबंधित कोषालय।
08. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण–पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा. उ.न्या., जोधपुर ।

23.10.2021

सहायक रजिस्ट्रार